न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज (जू0डि0), मोंठ, झांसी।

जमानत प्र0 पत्र सं0 –364/2022
जे0ओ0कोड–यू0पी0 3508
उपस्थितः– अविरल उमराव (उ0प्र0 न्यायिक सेवा)
मायाप्रसाद आदि बनाम राम रूप सिंह

परिवाद संख्या – 457/1998
धारा–498ए,323,504 भा0दं0सं0
थाना – पूँछ,
जिला – झांसी।

दिनांकः 13.10.2022

अभियुक्तगण माया प्रसाद, प्रेमनारायण, श्रीमती मिथलेश, श्रीमती मजमनपुर व श्रीमती नीलम की ओर से परिवाद संख्या 457/1998, अन्तर्गत धारा **498ए, 323, 504** भा0दं0सं0 **थाना पूँछ**, जिला झांसी में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि अभियुक्त ने उपरोक्त धारोओं में कोई अपराध कारित नहीं किया है। अभियुक्त सक्षम जमानत मुचलका प्रस्तुत करने को तैयार है। जमानत मुचलके पर रिहा करने की याचना की है।

अभियुक्तगण न्यायिक अभिरक्षा में है।

परिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत का विरोध किया है।

जमानत प्रार्थना पत्र पर अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता व परिवादी के विद्वान अधिवक्ता की तर्क पूर्ण बहस को सुना व पत्रावली पर उपलब्ध समस्त प्रपत्रों का सम्यक अवलोकन किया।

उभय पक्ष के तर्को व उपलब्ध प्रपत्रों के सम्यक परिशीलन से विदित है कि अभियुक्तगण के विरूद्ध दहेज के लिये प्रताड़ित करने, मारपीट करने तथा गाली–गलौज करने का अभियोग है। अभियुक्तगण को उपरोक्त धारोओं के अन्तर्गत न्यायालय द्वारा तलब किया गया था। मामला वैवाहिक संबंधों पर आधारित है। मामला परिवाद पर आधारित होने के कारण प्रस्तुत मामले में विवेचना की आवश्यकता नहीं है और न ही अभियुक्तगण को अभिरक्षा में रखने की आवश्यकता प्रतीत होती है। परिवादिनी द्वारा न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर कथन किया है कि उसके बीच राजीनामा हो गया है तथा वह अपने पति के साथ रह रही है।

अतः न्यायालय का मत है कि अभियुक्तगण द्वारा साक्ष्य व साक्षी से छेड़–छाड़ करने के उचित आधार प्रतीत नहीं होते है। इसके अतिरिक्त परिवादी अभियुक्तगण को न्यायिक अभिरक्षा में रखने के बिन्दु पर न्यायालय को संतुष्ट व आश्वस्त करने में असमर्थ रही है।

विधि के दो मूल सिद्धांत है कि–

1. Presumption of innocence

2. Punishment begins after conviction

अतः अभियुक्तगण को जेल भेजने से कोई सार्थक उद्देश्य पूर्ण नहीं होता है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित विधि व्यवस्था **Dataram Singh Vs. The State of Utter Pradesh (2008) 3 SCC 22 on 6 February, 2018** एवं **पी. चिदंबरम बनाम सी.बी.आई. (2009) SCC Online Sc 1380** एवं **Moti Ram & Ors. Vs. State Of M.P. 1978 Air 1594** में पारित निर्णय दिनांकित 22.10.2019 तथा माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा पारित विधि

व्यवस्था **Salim Ansari @ Md. Salim Ansari &....Vs. State Of Bihar & Anr on 14 May 2015** के अनुक्रम में उक्त प्रकरण में जमानत प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः मामले के गुणागुण पर कोई राय व्यक्ति किये बिना तथा मामले की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्त के जमानत के पर्याप्त आधार पाया जाता है तथा जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्तगण माया प्रसाद, प्रेमनारायण, श्रीमती मिथलेश, श्रीमती मजमनपुर व श्रीमती नीलम की ओर से परिवाद संख्या 457/1998, अन्तर्गत धारा **498ए, 323, 504** भा0दं0सं0 **थाना पूँछ**, जिला झांसी में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा उपरोक्त मामले में मुबलिग 20 हजार रुपये के व्यक्तिगत बंध पत्र एवं इसी धनराशि की दो सक्षम जमानतें दाखिल करने पर जमानत पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन रिहा किया जाता है :–

1. यह कि प्रार्थी/अभियुक्त इस केस में नियत तिथि पर न्यायालय उपस्थित होगा।
2. यह कि प्रार्थी/अभियुक्त न तो अभियोजन के गवाहों को डरायेगा न धमकायेगा और न ही अभियोजन साक्ष्य के साथ किसी तरह की कोई छेड़छाड़ करेगा।
3. यह कि प्रार्थी /अभियुक्त स्वयं के पते एवं उसके जमानतदारों के घर के पते में परिवर्तन होने पर उक्त परिवर्तन की सूचना तुरंत न्यायालय को देगा।
4. यह कि प्रार्थी/अभियुक्त इस केस में जब न्यायालय में अभियोजन के गवाहान साक्ष्य हेतु उपस्थित होगें तब किसी किस्म का व किसी आधार पर स्थगन प्रार्थना पत्र नहीं देगा।
5. यह कि प्रार्थी/अभियुक्त विचारण न्यायालय में अपने केस के शीघ्र निस्तारण हेतु न्यायालय का पूरा सहयोग करेगा और न्यायालय की कार्यवाही में किसी किस्म का अवरोध/व्यवधान उत्पन्न नहीं करेगा तथा जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा।

(अविरल उमराव)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मोंठ, झांसी